EAST CENTRAL RAILWAY

YELLOW BULLETIN

(April -2025, ISSUE NO. 82)

Irregularities/Deficiencies noted during HQ. inspections: -

1.	At **Athmalgola** station in danapur division, while issuing T-369(3b), it was commonly observed that Station Masters: • Did not write the signal name in capital letters, • Did not mention the full name of the station, and • Did not sign. in full.
2.	At Level Crossing Gate No. 60/3-T/B in **Athmalgola** yard, only one of the three tri-colour torches was in working condition.
3.	During inspection at **Buxar** station, out of five walkie-talkies, three were found defective.
4.	At **Rafiganj** station, power cables were found lying on the floor of the panel room.
5.	During footplate inspection of Train No. 22303 between Dhanbad and Gaya on 26.04.2025, the caution indicator board at km 278/5 did not display the speed restriction of 30 kmph.
6.	At **Barkakana** station, the register entry for use of the super emergency key was found incomplete; the purpose of use was not mentioned.
7.	At Level Crossing Gate No. 26 Spl/T near **Darbhanga**, it was observed that no speed breaker was provided.
8.	At **Hazaribagh Road** station: • Fire alarm system was not available, and • The e-TSR (Electronic Train Signal Register) was found defective.

SPECIAL ATTENTION:

Exchange of signal between Loco pilot and Guard- For ensuring that all is correct for a train to proceed and also that the Guard is in his brake van, 'All Right' signal shall always be exchanged between the Guard and the Loco pilot in circumstances as detailed below-

1. When a train starts after stopping at a station.
2. When a train starts after stopping outside station limits.
3. When a train runs through a station.
4. As soon as the train has completely passed the portion of the line over which a restriction of speed has been imposed.

Divisions are advised to circulate this bulletin (printed in yellow) immediately to all concerned to Initiate corrective action and submit a report on compliance with these irregularities/anomalies and special attention measures to this office for further action.

MANOJ KUMAR RANJAN

Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.05.14 13:48:01 +05'30'

(M. K. Ranjan)
Dy. COM/G/ECR

No. ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505 Dated - 14.05.2025

Copy to:-

i. PCOM & PCSO- for kind information please.
ii. DRMs- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for information please.
iii. Sr. DOMs -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
iv. ZRTI MFP & BHULI for information please.

पूर्व मध्य रेल
येलो बुलेटिन
(अप्रैल - 2025 अंक सं. 82)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

1	दानापुर मंडल के अथमलगोला स्टेशन पर टी-369(3बी) जारी करते समय, यह आमतौर पर देखा गया है कि स्टेशन मास्टर द्वारा: • सिग्नल का नाम बड़े अक्षरों में नहीं लिखा गया, • स्टेशन का पूरा नाम बड़े अक्षरों में नहीं लिखा, और • पूरा हस्ताक्षर नहीं किया गया।
2	अथमलगोला यार्ड में समपार फाटक संख्या 60/3-टी/बी पर, तीन ट्राईकलर टॉर्च में से केवल एक चालू हालत में पाया गया
3	बक्सर स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान पांच वॉकी-टॉकी सेट में से तीन खराब पाए गए।
4	रफीगंज स्टेशन के पैनल रूम में बिजली के तार फर्श पर पड़े पाए गए।
5	दिनांक 26.04.2025 को धनबाद और गया के बीच गाड़ी संख्या 22303 के फुटप्लेट निरीक्षण के दौरान, किमी 278/5 पर लगे सतर्कता संकेतक बोर्ड पर 30 किमी प्रति घंटे की गति सीमा प्रदर्शित नहीं की गई थी।
6	बरकाकाना स्टेशन पर, सुपर इमरजेंसी चाभी के उपयोग की प्रविष्टियां वीडर काउंटर रजिस्टर में अधूरी पाई गई और उसके उपयोग का उद्देश्य भी नहीं दर्ज किया हुआ था।
7	दरभंगा स्टेशन के समपार फाटक संख्या 26 स्पेशल/टी के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वहां कोई गति अवरोधक उपलब्ध नहीं था।
8	हजारीबाग रोड स्टेशन पर: • फायर अलार्म सिस्टम उपलब्ध नहीं था, और • ई-टीएसआर (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सिग्नल रजिस्टर) खराब पाया गया।

विशेष रूप से ध्यान दें :

लोको पायलट एवं गार्ड के बीच सिगनलों का आदान प्रदान :- यह सुनिश्चित करने के लिये कि गाड़ी के आगे बढ़ने हेतु सब कुछ ठीक-ठाक है एवं गार्ड भी अपने ब्रेकयान में है, 'ऑलराईट' सिगनल का आदान प्रदान गार्ड एवं लोको पायलट के बीच नीचे वर्णित परिस्थितियों में हमेशा किया जायेगा।

1. किसी स्टेशन पर रुकने के बाद जब गाड़ी प्रस्थान करती है।
2. स्टेशन सीमा से बाहर कोई गाड़ी खड़ी होने के बाद जब प्रस्थान होती है।
3. जब गाड़ी किसी स्टेशन से बिना रुके गुजरती है।
4. रेल लाईन के उस भाग से जहाँ गति प्रतिबंध लागू किया गया हो, ज्योंही गाड़ी पूरी तरह पार कर जाती है।

मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व संबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/विशेष ध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.05.14 17:57:29 +05'30'
(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा.)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलोबुलेटिन/ 87 /505, दिनांक 14.05.2025.

प्रतिलिपि-

i. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
ii. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।
iii. वरि. मं. परि. प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी. डी .यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
iv. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।